राजस्व वाद 63 / 2021
जीसीएमएस नंबर 2021 / 183
जयराम वगैरह बनाम् फेफाराम वगैरह

तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 20.09.2021 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये मौका रिपोर्ट दिनांक 30.09.2021 को प्राप्त हुआ, जिस पर वकुलाय / पक्षकारान् को सुना गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् में वादीगण व प्रतिवादी बुधाराम, सुगनाराम, मेहराम ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि अमानाराम, शैतानसिंह एवं पटवार हल्का की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर से होती है। जिन्होने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। चूंकि समस्त पक्षकारान् पीडी प्रस्ताव से सहमत है तथा वादग्रस्त खेताय का माफिक पीडी अंतिम बंटवाड़ा चाहते हैं इसलिये हम वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार अंतिम डिग्री किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

— : : आदेश : : —

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर माफिक तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव मौका रिपोर्ट दिनांक 30.09.2021 के अनुसार निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 से 3 जयराम, बुधाराम, सुगनाराम के सामलाती हक बंट कब्जा काश्त में मौजा टालनियाउ का खेत खसरा नंबर 193 रकबा 6.2726 हैक्टेयर में से 1 / 2 पश्चिमी भाग रखा गया है।
2. प्रतिवादीगण संख्या 1 / 1 से 1 / 3 कमश मेहराम, रूकमा देवी, गुलाब के सामलाती हक बंट कब्जा काश्त में मौजा टालनियाउ का खेत खसरा नंबर 193 रकबा 6.2726 हैक्टेयर में से शेष 1 / 2 पूर्वी भाग रखा गया है।

निर्णय आज दिनांक 28/10/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

28/10/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner